अध्याय 05 : संविधान की प्रस्तावना (Preamble)

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens :

- **JUSTICE,** social, economic and political;
- **LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship;
- **EQUALITY** of status and of opportunity and to promote among them all;
- **FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation];

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949 do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की **गरिमा** और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली **बंधुता** बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह (विक्रमी) को) **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

न्याय (Justice)	3 प्रकार
स्वतंत्रता (Liberty)	5 प्रकार
समता (Equality)	2 प्रकार
बंधुता (Fraternity)	1 प्रकार
भारत	2 बार
संविधान	2 बार

Justice	3 type
Liberty	5 type
Equality	2 type
Fraternity	1 type
India	2 times
Constitution	2 times

1) सामान्य परिचय (Introduction)

प्रस्तावना संविधान की आत्मा, दर्शन और उद्देश्य को बताने वाला प्रारंभिक वक्तव्य है। संविधान का परिचय पत्र है (The Preamble is the opening statement that describes the soul, philosophy, and objectives of the Constitution. It is the identity card of the Constitution.)

कांग्रेस का 1946 का मेरठ अधिवेशन (आचार्य जे.बी. कृपलानी) → संघीय ढांचे और प्रस्तावना की वैचारिक नींव (The 1946 Meerut Session of Congress → Ideological foundation of the Preamble.)

- ❑ 'उद्देश्य प्रस्ताव' → जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 (Objectives Resolution' → Presented by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946.)
- ❑ उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति (Acceptance of Objectives Resolution) → 22 जनवरी 1947
- ❑ प्रस्तावना की संकल्पना → अमेरिका (The concept of Preamble → America)
- ❑ प्रस्तावना की भाषा (The language style of the Preamble) → ऑस्ट्रेलिया
- ❑ फ्रांसीसी क्रांति (1789) → "स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" ("Liberty, Equality, and Fraternity.)
- ❑ रूसी क्रांति (1917) → "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय“ (Russian Revolution (1917) → "Social, Economic, and Political Justice.“)

अधिकार का स्रोतः भारत के लोग (लोक प्रभुसत्ता) / Source of authority : The people of India — Popular Sovereignty.

राज्य का स्वरूप : संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य / Nature of the State: Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic.

संविधान का उद्देश्य : न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व स्थापित करना । Objective of the Constitution : To establish Justice, Liberty, Equality, and Fraternity.

अधिनियमित की तिथि : 26 नवंबर 1949 / Date of enactment : 26 November 1949

42वें संविधान संशोधन 1976 (केवल एक संशोधन) →समाजवादी + पंथनिरपेक्ष + अखंडता (42nd Constitutional Amendment 1976 — the only amendment to the Preamble → Added: Socialist + Secular + Integrity.)

2) प्रस्तावना के मुख्य शब्द (Key words of the Preamble)

शक्ति के स्त्रोत (Source of power)

"हम भारत के लोग"

("We the people of India")

लोक संप्रभुता (Popular sovereignty)

राज्य का स्वरूप (Nature of state)

- संप्रभु (Sovereign)
- समाजवादी (Socialist)
- पंथेनिरपेक्षता (Secular)
- लोकतांत्रिक (Democratic)
- गणराज्य (Republic)

उद्देश्य (Objectives)

- न्याय (Justice : 3)
  - सामाजिक (Social)
  - आर्थिक (Economic)
  - राजनीतिक (Political)
- समता (Equality : 2)
  - अवसर (Opportunity)
  - प्रतिष्ठा (Status)
- स्वतंत्रता (Liberty : 5)
  - विचार (Thought)
  - अभिव्यक्ति (Expression)
  - विश्वास (Belief)
  - धर्म (Faith)
  - उपासना (Worship)
- व्यक्ति की गरिमा (Dignity of the individual)
- राष्ट्र की एकता व अखण्डता (National unity & integrity)
- बंधुता (Fraternity)

2.1) हम भारत के लोग..

- **संविधान की शक्ति का सर्वोच्च स्त्रोत -** भारत की जनता
- **डा अम्बेडकर -** "संविधान का आधार जनता है
- **आलोचना -** वयस्क मताधिकार का अभाव
- **उत्तर -** प्रथम आम चुनावो मे लगभग समान लोगो का निर्वाचन

2.1) We the people of India..

- **Supreme source of power of the Constitution –** The people of India
- **Dr. Ambedkar –** "The foundation of the Constitution is the people"
- **Criticism –** Absence of adult franchise (universal suffrage)
- **Answer –** Election of broadly representative people in first general elections

2.2) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न

- भारत में अपने आंतरिक तथा बाहर निर्णय लेने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है।
- **लोकप्रिय संप्रभुता -** शासन की अंतिम और सर्वोच्च शक्तिः जनता में निहित है।
  1. हम भारत के लोग
  2. वयस्क मताधिकार
  3. सरकार का निश्चित कार्यकाल
- **कानूनी संप्रभुता -** संविधान

2.2) Complete sovereignty

- India is completely free to make its own internal and external decisions.
- **Popular sovereignty –** The ultimate and supreme power of governance rests with the people.
  1. We the people of India
  2. Adult franchise (universal suffrage)
  3. Fixed tenure of government
- **Legal sovereignty –** Constitution

2.1) समाजवाद (Socialism)

42 वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा

- समाजवाद ➔ उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण समाज को प्राप्त हो।
- भारतीय समाजवाद →
  - साम्यवादी या राज्याश्रित समाजवाद (✗)
  - लोकतांत्रिक समाजवाद (✓) → **गांधीवाद व मार्क्सवाद का अनूठा मिश्रण**
  - लोकतांत्रिक समाजवाद **मिश्रित अर्थव्यवस्था** (Mixed Economy) में आस्था रखता है,
  - 1991 की नई आर्थिक नीति (LPG) ने भारत के समाजवादी प्रतिरूप को कुछ लचीला बनाया।

डी.एस.नाकारा बनाम भारत संघ (1983)

- भारतीय समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आय, स्थिति और जीवन स्तर की असमानता को समाप्त करना है।
- समाजवाद के चार स्तंभ → समाज कल्याण, समानता, शोषित कल्याण, वंचित कल्याण
- "पालने से लेकर श्मशान तक" सामाजिक सुरक्षा
- गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनूठा संगम

गांधीवाद	मार्क्सवाद
○ *हथियार के स्थान पर लोकतांत्रिक मार्ग* ○ *हिंसा नहीं, हृदय परिवर्तन* ○ *ट्रस्टीशिप सिद्धांत* ○ *कुटीर व ग्रामोद्योग*	○ *वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य* ○ *संसाधनों का वितरण*

2.1) Socialism

42nd Constitutional Amendment 1976

- Socialism → No single individual should have a monopoly over the means of production and property; it should benefit the whole society
- Indian Socialism →
  - Communist or State socialism ✗
  - Democratic Socialism ✓ → **A unique blend of Gandhism and Marxism.)**
  - Democratic Socialism believes in a Mixed Economy
  - The New Economic Policy of 1991 — LPG — made India's socialist model somewhat flexible.

D.S. Nakara v. Union of India (1983)

- The main aim of Indian socialism is to eliminate inequality in income, status, and standard of living
- Four pillars of Socialism → Social welfare, Equality, Welfare of the exploited, Welfare of the deprived
- "From cradle to grave" — Social Security.
- Gandhism and Marxism

Gandhism	***Marxism***
Democratic path instead of arms *Not violence, but change of heart* *Trusteeship Theory* *Cottage and village industries.*	*Goal of a classless society* *Distribution of resources.*

2.2) पंथनिरपेक्ष (Secular)

- **42 वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा**
  - भारत में राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है
  - राज्य सभी धर्मों को समान मानता है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखता है
  - **अनुच्छेद 25 से 28** → धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- तत्कालीन विधि **मंत्री एच.आर. गोखले** — प्रत्येक व्यक्ति को आस्था व उपासना की स्वतंत्रता; राज्य का अपना कोई धर्म नहीं; राज्य सभी धर्मों को समान मानता है, न किसी को समर्थन न विरोध।

2.2) Secular

- Added by the 42nd Constitutional Amendment, 1976.
  - India has no official state religion.
  - The State treats all religions equally and maintains an equal attitude towards all religions.
  - **Articles 25 to 28** → Right to religious freedom.
- Then Law Minister H.R. Gokhale — Every person has the freedom of faith and worship; the State has no religion of its own; the State treats all religions equally — neither supporting nor opposing any.

2.3) Democratic

- 'Democracy' is derived from two Greek words — 'Demos' (people) and 'Kratia' (rule) — literally meaning "rule of the people.“
- India is the world's largest representative democracy.
- The Indian Constitution adopted Parliamentary Democracy — the Executive is directly accountable to the Legislature.
- The word 'Democratic' in the Preamble is used in a broad sense — including political, social, and economic democracy.
- Dr. B.R. Ambedkar (25 Nov 1949): Political democracy cannot be permanent unless social democracy lies at its foundation.
- **'Trinity ‘ → Liberty, Equality, and Fraternity**

2.3) लोकतांत्रिक (Democratic)

- 'Democracy' शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों—'Demos' (जनता) और 'Kratia' (शासन)—से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "जनता का शासन"।
- भारत **दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिनिधि लोकतंत्र** है।
- भारतीय संविधान ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। इसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है।
- प्रस्तावना में ‘लोकतांत्रिक’ शब्द का प्रयोग व्यापक (broad) अर्थ में किया गया है — इसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नही, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी सम्मिलित है।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर (25 नवंबर 1949 - अराजकता का व्याकरण) → राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो।
- **त्रयी → स्वतंत्रता, समानता और बंधुता**

2.4) गणराज्य (Republic)

- **राजशाही (Monarchy)** → इस व्यवस्था में राज्य का प्रमुख उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आता है। यह पद पूरी तरह वंशानुगत होता है (जैसे: ब्रिटेन)।
- **गणतंत्र (Republic)** → जहाँ राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित होता है अर्थात् पद वंशानुगत नहीं होता
  - भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तथा एक नियत समय (5 वर्ष) के लिए पद पर रहते हैं।
- गणतंत्र में दो और बातें निहित हैं —
  - राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति (जैसे राजा) के बजाय जनता के हाथ में होती है; तथा
  - किसी भी विशेषाधिकार-प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति — प्रत्येक सार्वजनिक पद बिना भेदभाव सभी नागरिकों के लिए खुला होता है।

2.4) Republic

- **Monarchy** → The head of state comes to power through inheritance — the position is entirely hereditary, e.g., Britain.
- **Republic** → Where the head of the nation is elected, i.e., the position is not hereditary. In India, the President is elected and serves for a fixed term of 5 years.
- In a Republic —
  - Political sovereignty rests with the people
  - absence of any privileged class — every public office is open to all citizens without discrimination.

2.5) न्याय (Justice)

- न्याय → समाज में सबके साथ समानतापूर्वक व्यवहार।
- न्याय का विचार → सोवियत संघ की 1917 की क्रांति (रूसी क्रांति)
- प्रस्तावना में न्याय तीन रूपों में सम्मिलित है :

न्याय का प्रकार	अर्थ	संबंधित अनुच्छेद
सामाजिक न्याय (Social)	○ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव सबके साथ समान व्यवहार; ○ अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं की स्थिति में सुधार।	अनुच्छेद 15, 16, 17, 18, 23, 24
आर्थिक न्याय (Economic)	○ आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं; ○ आय व संपत्ति की असमानता दूर करना; संसाधनों का उचित वितरण। ○ 'वितरणात्मक न्याय' → 'सामाजिक न्याय' + 'आर्थिक न्याय'	अनुच्छेद 39(b), 39(c)
राजनीतिक न्याय (Political)	○ सभी को समान राजनीतिक अधिकार; ○ चुनाव लड़ने व मतदान के अधिकार में समानता।	अनुच्छेद 325, 326

2.5) Justice

- Justice → Equal and fair treatment of all in society.
- The idea of Justice → inspired by the 1917 Revolution of the Soviet Union — Russian Revolution
- Justice is included in the Preamble in three forms :

Justice	Meaning	Related articles
Social justice	○ Equal treatment of all without discrimination based on caste, colour, religion, or gender. ○ Improvement in the condition of deprived classes and women.	Articles 15, 16, 17, 18, 23, 24
Economic justice	○ No discrimination on economic grounds. ○ Elimination of inequality in income and property; equitable distribution of resources. ○ 'Distributive justice' → 'Social justice' + 'Economic justice'	Articles 39(b), 39(c)
Political justice	○ Equal political rights for all. ○ Equality in the right to contest elections and the right to vote.	Articles 325, 326

2.6) Liberty

- 'Trinity Principle' of Liberty, Equality, and Fraternity → French Revolution (1789).
- Liberty → Freedom from any kind of external pressure, control, or unreasonable restrictions.
- Negative Liberty → "Absence of interference or restrictions"
  - the role of the State is only to provide security
- Positive Liberty → Providing conditions and opportunities so that an individual can develop their personality in a true and creative manner

2.6) स्वतंत्रता (Liberty)

- स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का 'त्रयी सिद्धांत' (Trinity) → फ्रांस क्रांति (1789)
- स्वतंत्रता → किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव, नियंत्रण या अनुचित प्रतिबंधों से मुक्त होना
- नकारात्मक स्वतंत्रता → "हस्तक्षेप या प्रतिबंधों का अभाव"
  - राज्य का काम केवल सुरक्षा देना है (नकारात्मक भूमिका)।
- सकारात्मक स्वतंत्रता → ऐसी परिस्थितियाँ और अवसर प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सही और रचनात्मक विकास कर सके

Liberty granted by the Preamble or Fundamental Rights is not Absolute but Qualified — the Constitution imposes 'Reasonable Restrictions' on them.

2.7) समता (Equality)

- समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, तथा बिना भेदभाव हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के प्रावधान।
    - समानता (Equality) → समाज के सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल एक जैसे संसाधन, अवसर और अधिकार देना।
    - समता (Equity) → व्यक्ति की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार उसे संसाधन और अवसर उपलब्ध कराना, ताकि वह भी औरों के बराबर आ सके।
- प्रस्तावना में समता के दो आयाम हैं:
    - प्रतिष्ठा की समता (Equality of Status)
    - अवसर की समता (Equality of Opportunity)

2.7) Equality

- Providing identical resources, opportunities, and rights to all members of society without any discrimination
    - Equality → Providing identical resources, opportunities, and rights to all members of society without any discrimination
    - Equity → Providing resources and opportunities according to an individual's needs and circumstances, so they can reach the same level as others.
- Two dimensions of Equity in the Preamble :
    - Equality of Status
    - Equality of Opportunity

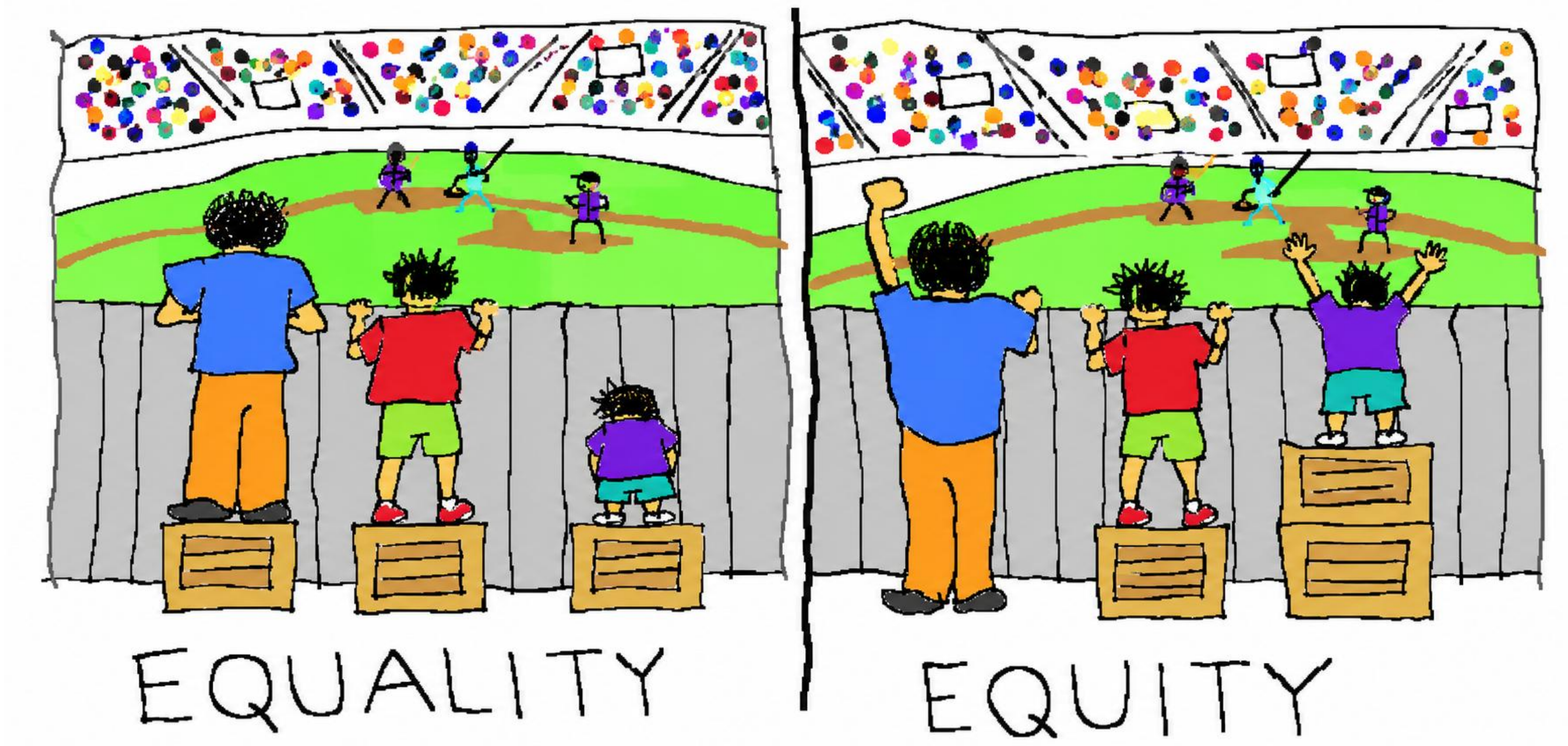
EQUALITY
EQUITY

2.8) बंधुता (Fraternity)

- बंधुता का शाब्दिक अर्थ — "सभी नागरिकों के बीच भाईचारे, अपनत्व और एक परिवार होने की भावना।"।
  - संविधान एकल नागरिकता (single citizenship) की व्यवस्था के माध्यम से भाईचारे को प्रोत्साहित करता है।
  - मौलिक कर्तव्य → प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय व वर्गगत विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे।
  - अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability)
  - अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, "बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समानता केवल एक दिखावा मात्र रह जाएंगे।"

2.8) Fraternity

- The literal meaning of Fraternity — "A feeling of brotherhood, belonging, and being one family among all citizens."
  - The Constitution promotes fraternity through the provision of Single Citizenship.
  - Fundamental Duty → It is the duty of every citizen to rise above religious, linguistic, regional, and sectional diversities and promote harmony and mutual brotherhood.
  - Abolition of Untouchability.
  - Protection of Minorities.
- According to Dr. B.R. Ambedkar, "Without Fraternity, Liberty and Equality will remain merely a show."

3) प्रस्तावना से जुड़े वाद

ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)	प्रस्तावना संविधान का भाग नही है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय (Non-enforceable) नहीं है और यह शक्ति का स्रोत भी नहीं है।
बेरुबाड़ी संघ मामला (1960)	प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के "मस्तिष्क को खोलने की कुंजी" है। चूँकि यह संविधान का भाग नहीं है, इसलिए संशोधन नही हो सकता।
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)	प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। 'मूल ढाँचे' के तहत इसके विशिष्ट तत्वों को संसद द्वारा संशोधित करके नष्ट नहीं किया जा सकता।
एस.आर. बोम्मई वाद (1994)	न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा पुनः स्थापित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।
श्री रघुनाथराव गणपतराव (1993)	प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही इसके द्वारा विधानमंडल की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
एल.आई.सी. ऑफ इंडिया वाद (1995)	सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है।

3) Cases related to the Preamble

A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)	The Preamble is not a part of the Constitution, it is **non-enforceable in court**, and it is not a source of power.
Berubari Union Case (1960)	The Preamble is the **"key to the minds"** of the Constitution makers. Since it is not a part of the Constitution, it cannot be amended.
Kesavananda Bharati v. Kerala (1973)	The Preamble is an important **part of the Constitution**. Under the 'Basic Structure' doctrine, It can be amended by parliament,.
S.R. Bommai Case (1994)	Justice Ramaswami reaffirmed that the **Preamble is an integral part** of the Constitution.
Shri Raghunathrao Ganpatrao (1993)	The Preamble is **neither a source of legislative power**, nor can any restriction be imposed on the powers of the legislature through it.
LIC of India Case (1995)	The Supreme Court once again clearly held that the **Preamble is an intrinsic and integral part of the** Constitution.

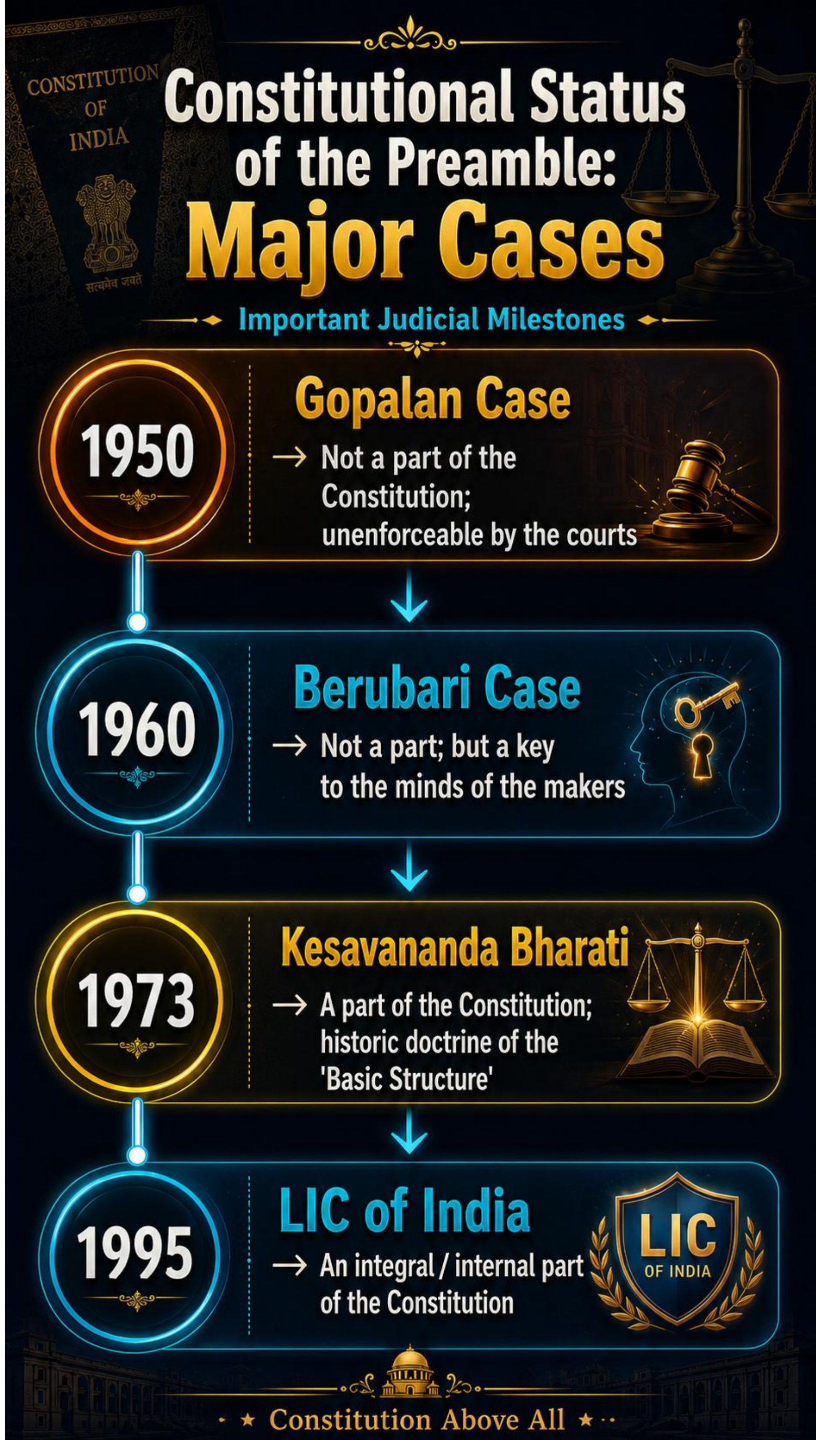

प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति : प्रमुख न्यायिक मामले

1. ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950)

- प्रस्तावना मार्गदर्शक जरूर है, लेकिन यह संविधान के मूल अनुच्छेदों का विकल्प या उनको शीभित करने वाला उपकरण नहीं है।
- अनुच्छेद 21 की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना का सहारा नहीं लिया जा सकता।

2. केरबाड़ी संघ मामला (1960)

- प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
- यद्यपि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझमे की एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

3. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

- न्यायमूर्ति एस. हिदायतुल्लाहं → प्रस्तावना को संविधान की 'मूल आत्मा तथा शाश्वत' कहा था।

4. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973-13 जजों की पीठ)

- प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है।
- अनुच्छेद 368 के तहत संशांधन सें संशोधन किया जा सकता है।
- प्रस्तावना के इस हिस्से में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है।

5. एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है।

6. एलआईसी ऑफ इंडिया मामला (1995)

- केशवानंद भारती मामले के फैसले की पुनः पुष्टि की।
- प्रस्तावना केवल एक परिचय नहीं है, बल्कि यह संविधान का आंतरिक / अभिन्न हिस्सा (Integral Part) है।

वर्तमान स्थिति

- संबिधान का अभिन्न अंग
- अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है
- गैर-न्यायोचित (Non-justiciable)
- शक्तियों का स्रोत नहीं : यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाती है।

Constitutional Status of the Preamble: Major Judicial Cases

1. A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)

- The Preamble is certainly a guide, but it is not a substitute for the substantive Articles of the Constitution, nor an instrument to restrict them.
- Since the language of Article 21 is absolutely clear, the Preamble cannot be relied upon to interpret it.

2. Berubari Union Case (1960)

- The Preamble is not a part of the Constitution.
- However, it is an important key to understanding the minds of the makers of the Constitution.

3. Golaknath v. State of Punjab (1967)

- Justice M. Hidayatullah described the Preamble as the 'basic soul and eternal part' of the Constitution.

4. Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973 - 13-judge bench)

- The Preamble is an integral part of the Constitution.
- It can be amended under Article 368.
- The part of the Preamble that relates to the basic structure of the Constitution cannot be amended.

5. S.R. Bommai v. Union of India (1994)

- The Supreme Court once again reaffirmed that the Preamble is an integral part of the Constitution.

6. LIC of India Case (1995)

- Reaffirmed the judgment in the Kesavananda Bharati case.
- The Preamble is not merely an introduction; it is an internal / integral part of the Constitution.

Present Position

- Integral part of the Constitution
- Can be amended under Article 368
- Non-justiciable
- Not a source of powers: It is neither a source of legislative power nor does it impose any limitation on those powers.

विद्वान / विचारक	प्रस्तावना / संविधान के संदर्भ में कथन
1. एन. ए. पालखीवाला	प्रस्तावना संविधान का परिचय-पत्र / Identity Card है।
2. के. एम. मुंशी	प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मकुंडली / Political Horoscope है।
3. पंडित ठाकुर दास भार्गव	प्रस्तावना संविधान की आत्मा, कुंजी और आभूषण है।
4. सर अर्नेस्ट बार्कर	प्रस्तावना संविधान का कुंजी-नोट / Key-note है।
5. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर	प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालिक सपनों और आदर्शों का विचार प्रस्तुत करती है।
6. सुभाष कश्यप	संविधान यदि शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है।
7. डी. डी. बसु	प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों और मूल दर्शन को स्पष्ट करती है।
8. एम. हिदायतुल्लाह	प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो उसके आदर्शों को प्रकट करती है।
9. एम. वी. पायली	प्रस्तावना संविधान का सर्वश्रेष्ठ सार / Summary है।
10. डॉ. भीमराव अम्बेडकर	संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, लेकिन यह समय और आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन योग्य भी है।
11. जे. बी. कृपलानी	एक लोक मंगलकारी राज्य के रहस्यात्मक सिद्धांत / Mystic creed of a welfare state है।

	Scholar / Thinker	Statement in relation to the Preamble / Constitution
1.	N. A. Palkhivala	The Preamble is the Identity Card of the Constitution.
2.	K. M. Munshi	The Preamble is the Political Horoscope of the Constitution.
3.	Pandit Thakur Das Bhargava	The Preamble is the soul, key and ornament of the Constitution.
4.	Sir Ernest Barker	The Preamble is the Key-note of the Constitution.
5.	Alladi Krishnaswami Ayyar	The Preamble presents the ideas of the long-term dreams and ideals of the makers of the Constitution.
6.	Subhash Kashyap	If the Constitution is the body, then the Preamble is its soul.
7.	D. D. Basu	The Preamble clarifies the objectives and basic philosophy of the Constitution.
8.	M. Hidayatullah	The Preamble is the soul of the Constitution, which expresses its ideals.
9.	M. V. Pylee	The Preamble is the best summary of the Constitution.
10.	Dr. B. R. Ambedkar	The Constitution is a sacred document, but it is also capable of change according to time and necessity.
11.	J. B. Kripalani	The Preamble is the mystic creed of a welfare state.